कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

अल्पकालिक निविदा सूचना

मुख्यालय, गाजीपुर के प्रांगण में स्थित निष्प्रयोज्य भवन जे० एम० ब्लाक का मूल्यांकन रु० 12,38626.47/- एवं सी० जे० एम० ब्लाक का मूल्यांकन रु० 15,44,997.36/- प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है| इन दोनों भवनों को ध्वस्त करने तथा मलवा हटाने हेतु प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से सील बन्द निविदाएं दिनांक 24/02/2021 अपरान्ह 4.00 बजे तक केन्द्रीय नजारत में आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 25/02/2021 को नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, गाजीपुर के समक्ष खोली जायेगी|

सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म उपरोक्त निष्प्रयोज्य भवनों का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 05.00 बजे सायं तक कार्यस्थल पर आकर कर सकते हैं|

निविदा हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं:-

16. प्रत्येक निविदा दाता को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा|
17. निविदा दिये जाने के पूर्व उपरोक्त भवन की भली भांती पहचान व निरिक्षण कर ले|
18. प्रत्येक निविदा दाता को रु० 2,80,000/- की धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा| इस धनराशि का Demand Draft, जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा| निविदा अस्वीकृति की दशा में नियमानुसार वापस होगा|
19. निविदा केवल भवन एवं उसमे लगी अचल वस्तुओ के लिए ही है| फर्नीचर, फिक्स्चर्स, चल संपत्ति आदि नीलामी में सम्मिलित नहीं है | भूमि पर पूर्ण अधिकार न्याय विभाग का होगा|
20. सभी निविदा दाताओ को सभी नियम एवं शर्तो के पालन का घोषणा पत्र देना होगा |
21. यदि भवन को तोड़ते समय कोई पुरातत्व महत्व की अथवा खजाना / दुर्लभ वस्तुए प्राप्त होती है तो इसकी सूचना तत्काल विभाग एवं पुलिस प्रशासन को देना होगा तथा ऐसी समस्त सम्पत्तियों पर अधिकार न्याय विभाग /सरकार का होगा|
22. भवन के तोड़ने का कार्य यथा निर्देश उपसमिति आधारभूत संरचना जनपद न्यायालय, गाजीपुर, किया जावेगा|
23. भवन तोड़ते समय कोई श्रमिक, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियों की दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदा दाता / फर्म / व्यक्ति की होगी|
24. भवन को तोड़ते समय सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा|
25. सम्बंधित निविदा दाता / फर्म/ व्यक्ति द्वारा ध्वस्त किये गए भवन के मलवे को समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर परिसर से हटाना होगा |
26. किसी भी उच्चतम निविदा को सरसरी तौर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पास सुरक्षित है |
27. उच्चतम निविदा को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुमोदन उपरान्त ही अमल में लायी जायेगी और जो भी शर्ते माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसे मानना बाध्यकारी होगा|
28. निविदा माननीय उच्च नयायालय, इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करना होगा |
29. अपूर्ण एवं गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर निविदा रद्द की जा सकती है |
30. अन्य कोई भी शर्त जो समिति द्वारा घोषित की जा सकती है, जिसे मानना सभी के लिए बाध्यकारी होगा|

दिनांक - 10/02/2021

(मो० रिजवानुल हक़)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -1/
अध्यक्ष , उपसमिति आधारभूत संरचना
जनपद न्यायालय ,गाजीपुर